न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 52/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/00152
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 02.04.2024

1. शान्तकुमार पुत्र भगवत जाति ब्राह्मण निवासी बहरामदा तह.नदबई

प्रार्थी

बनाम

1. ताराचंद पुत्र दौलती जाति ब्राह्मण निवासी बहरामदा तह.नदबई
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री पूरनसिंह. एड.(प्रार्थी की ओर से)
श्री अशोक कुमार एड.(प्रार्थी की ओर से)

निर्णय प्रार्थना प[illegible]र.टी.ए.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:57:57 IST
Reason: SelfAttested

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।

2/4/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

2. यह है कि विवादित आराजी खसरा न. 187 रकवा 0.08, 188 रकवा 0.04, 188/1827 रकवा 0.04 है. वाके ग्राम बहरामदा तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें प्रार्थी एंव प्रतिवादी सं. 3 लगायत 8 प्रत्येक 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार व काबिज है। जिनकी नकल जमाबंदी संवत 2074 –2077 व नक्शा संलग्न है।

3. यह कि विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थिना पत्र की आराजी प्रार्थी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण सं. 3 लगायत 8 की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। जिस पर प्रार्थी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण सं. 3 लगायत 8 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी खसरा न. 187, 188, 188/1827 के चिपटैमा गैरमुमकिन आबादी है। जिसका आराजी खसरा न. 1021 वाके ग्राम बहरामदा तहसील नदबई में स्थित हैं, की आड में अप्रार्थीगण विवादित आराजी की डौर मेंढ आदि को तोडकर नींव आदि खोदकर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है। जिसका अप्रार्थीगण सं. 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

4. यह कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी को वामुकाम बहरामदा तहसील नदबई पर दिनांक 18.05.2022 को यह एलानियां धमकी दी है कि वह विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी में आराजी खसरा न. 1021 की आड में डौर मेंढ आदि को तोडकर नींव आदि खोदकर पुख्ता निर्माण कार्य करके रहेंगे व प्रार्थी को प्रार्थी की आराजी से बेदखल [illegible] देंगे [illegible] कब्जाकाश्त में दखल करेंगे व मौके की स्थिति को बदल [illegible] अप्रार्थी सं. 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि अप्राथी सं. 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि अप्रार्थी सं. 1 अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:57:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

उपरोक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है। प्राईमाफेसी व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

5. अन्त में प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण का ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे, कि वो विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी खसरा न. 187,188, 188/1827 में आराजी खसरा न. 1021 की आड में नींव आदि खोदकर पुख्ता निर्माण न करें तथा डौर मेंढ न तोडें व कब्जेकाश्त में दखल नहीं करें व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी की तरफ से श्री अशोक कुमार एडवोकेट उपस्थित हुये, जिनके द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

1. यह कि मद सं. 1 आंशिक स्वीकार है।
2. यह कि मद सं. 2 रिकॉर्ड से संबंधित है। काबिल गौर अदालत है।
3. यह है कि प्रार्थना की मंद स. 3 जिस प्रकार वर्णित कि गई है। वह स्वीकार नही है। शेष उजरात मजीद में दर्ज है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र की मंद स. 4 स्वीकार नही है। अप्रार्थी ने प्रार्थी को दिनांक 18.05.22 को या अन्य किसी तिथि को कोई धमकी नहीं दी गई है, बिना धमकी दावा लाने का कोई कॉज ऑफ एक्शन प्रार्थी को पैदा नहीं होता है। इसलिये दावा बिना कॉज ऑफ एक्शन के काबिल खारिजी के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:57:57 IST
Reason: SelfAttested

2/5/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 स्वीकार नहीं है, प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में नहीं होकर अप्रार्थी के हक में है।

6. यह कि अप्रार्थी सं. 1 अपने खसरा न. 1021 की सीमा में मौके पर काबिज उपयोग उपभोग कर रहा है, तथा खसरा न. 1021 व उसके चारों तरफ वादी के खसरा न. पर विवादित आराजीयात आवासीय भूमि है, अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बरान में पट्टा भी जारी करा रखा है, तथा आवासीय पट्टा से विधिवत तरीके से करवा कर अप्रार्थी अपने उक्त आवासीय प्लाट में निर्माण कार्य कर रहा है। उक्त निर्माण कार्य द्वारा दिये गये पट्टे की समी में ही किया जा रहा है इसलिये वादी को अप्रार्थीगण के निर्माण कार्य को रोकने के लिये सही तथ्य छिपाकर न्यायालय श्रीमान को गुमराह कर न्यायालय का अमूल्य समय बर्बाद किया है।

7. यह कि उपरोक्त विवादित आराजीयात आवासीय भूमि है जिसके बाबत सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय को है, श्रीमान राजस्व न्यायालय को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये दावा क्षेत्राधिकार से बाहरी है। दावा काबिल खारिजी के है।

7. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2074–2077 एवं नकल नक्शा खसरा न. 187,188, 188/1829 [illegible] ग्राम बहरामदा, पेश की गई।

8. अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल फोटोस्टेट पट्टा आवासीय भूमि दिनांक 20.12.2018 ग्राम पंचायत बहरामदा, नकल रजिस्टर्ड पट्टा दिनांक 07.08.2020 पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:57:57 IST
Reason: SelfAttested

2/4/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

9. प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के विद्वान वकीलों की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी, तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया, तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दुओं अनुसार विवरण इस प्रकार है :–

10. <u>**पृथमदृष्टया केस**</u>– प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है जो अपने खातेदारी के खसरा न. 187,188, 188/1828 वाके ग्राम बहरामदा पर स्थित है के बाबत निर्माण कार्य करने पर जबर्दस्ती कब्जा करने पर आमादा होने का केस किया है, उक्त खसरा नम्बरान प्रार्थी के खातेदारी के रकवा है। प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बरान के चिपटेमा में अप्रार्थी/प्रतिवादी का खसरा नम्बरान है। प्रार्थी के खसरा नम्बरान की आढ में गैरमुमकिन आबादी है, जिसका खसरा न. 1021 वाके ग्राम बहरामदा पर स्थित है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने खसरा न. 1021 की सीमा में मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है तथा उक्त विवादित आराजीयात आवासीय भूमि है तथा आवासीय भूमि का पट्टा अप्रार्थी द्वारा जारी करवाया हुआ है, जिसकी पुष्टि में अप्रार्थी द्वारा नकल पट्टा आवासीय भूमि दिनांक 20.12.2028 का पेश किया गया। उक्त पट्टा सबरजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर्ड भी किया हुआ है, तथा उक्त पट्टा अप्रार्थी को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 157 [illegible] पट्टा जारी किया गया है तथा उक्त पट्टा वि[illegible] ग्राम [illegible] द्वारा प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है, प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे को किसी सक्षम न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया गया है तथा उक्त विवादित भूमि जो एक आबादी के अन्तर्गत आवासीय भूमि है। उक्त आवासीय भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:57:57 IST
Reason: SelfAttested

2/4/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

का सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। साथ ही साथ वादी यह साबित करने में विफल रहा कि जो निर्माण कार्य किया जा रहा है व आबादी भूमि में ना किया जाकर वादी की आराजी में किया जा रहा है। अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण अप्रार्थी के हक में बखूबी साबित है।

<u>2.सुविधा का सतुलन</u> – मामला प्रथम दृष्टया अप्रार्थी के हक में है। चूंकि प्रार्थी की खातेदारी का रकवा अलग है तथा अप्रार्थी जो भी निर्माण कर रहा है, वह अपने पट्टेशुदा भूखण्ड की सीमा के भीतर कर रहा है। इसलिये प्रार्थी अपने लिखित व मौखिक साक्ष्य द्वारा यह साबित कहीं भी नहीं कर पाये हैं कि अप्रार्थी द्वारा अपने पट्टेशुदा भूखण्ड के अलावा प्रार्थी की खातेदारी की सीमाओं में कोई निर्माण कार्य किया हो। अतः सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के हक में साबित है।

<u>3.अपूर्ण क्षति</u> – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी अपने पट्टेशुदा जगह पर घर नहीं बना पाएगा जिससे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी को होगी। खातेदारी अधिकारों से वंचित रहेगा। जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अस्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 07.06.2022 को खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 02.04.2024 को खुले न्यायालय में द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:57:57 IST
Reason: SelfAttested

2/4/24
(गगांधर मीना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)